



**LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OLD SECRETARIAT, DELHI 110 054
BULLETIN PART-II**

(General information relating to Legislative and other Matters)
Tuesday, 20 August, 2019/Shravan 29, 1941 (Shaka)

No.155

Sub: Disqualification of Shri Sandeep Kumar, Hon'ble Member.

Hon'ble Members are hereby informed that the Hon'ble Speaker under Paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India read with Article 191(2) of the Constitution of India, Section 16 of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and Rule 8 of The Members of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1996 has disqualified Shri Sandeep Kumar [who had been elected from Assembly Constituency – 10 (Sultanpur Majra)] from being a Member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi with effect from 01st February, 2019.

Consequent upon this, the seat of Assembly Constituency – 10 (Sultanpur Majra) has fallen vacant and a vacancy has occurred in the House.

**C. Velmurugan
Secretary**



विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित जानकारी)
मंगलवार, 20 अगस्त, 2019/29 श्रावण, 1941 (शक)

संख्या : 155

विषय: श्री संदीप कुमार, माननीय सदस्य की निरर्हता।

माननीय सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष ने भारत के संविधान के दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 (1)(ए) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (2), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 16 और दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत श्री संदीप कुमार {जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-10 (सुल्तानपुर माजरा) से चुने गए थे।} को 01 फरवरी, 2019 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया है।

जिसके परिणाम स्वरूप, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-10 (सुल्तानपुर माजरा) की सीट खाली हो गई है और सदन में एक सीट रिक्त हो गई है।

सी. वेलमुरुगन
सचिव